न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 18/2020
दायर दिनांकः 02.11.2020
निर्णय दिनांक 13.01.2025

—: अनवान :—

1. श्री हरि राम पिता श्री हकमा जी, जाति गुर्जर, उम्र 60 वर्ष, पेशा खेती,
2. श्री मांगीलाल पिता श्री रूपा जी, जाति गुर्जर, उम्र 55 वर्ष, पेशा खेती,
3. श्री नेमीदास पिता श्री रामदास जी. जाति वैरागी, उम्र 50 वर्ष, पेशा खेती,
4. श्री प्रकाश पिता श्री उदय लाल जी, जाति राव उम्र 30 वर्ष, पेशा खेती,
5. श्री मनोहर सिंह पिता श्री धन सिंह जी, जाति राजपूत, उम्र 25 वर्ष,
6. श्री लादु लाल पिता श्री कालु जी, जाति राव, उम्र 40 वर्ष, पेशा खेती,
7. श्री रतन लाल पिता मोती जी, जाति गुर्जर, उम्र 30 वर्ष, पेशा खेती,
8. श्री नारायण लाल पिता श्री रामा जी, जाति गुर्जर, उम्र 40 वर्ष, पेशा खेती,
9. श्री शंकर लाल पिता श्री उदा जी, जाति गुर्जर, उम्र 35 वर्ष, पेश खेती,

सभी निवासीयान करतवास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

— प्रार्थीगण/निगराकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत गलवा, जरिये सरपंच साहब, ग्राम पंचायत गलवा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. ग्राम पंचायत गलवा, जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गलवा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्री वेजराम पिता श्री घासी जी, जाति कुमावत, उम्र 60 वर्ष, निवासी गलवा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्री रमेश पिता श्री मांगीलाल जी, जाति माली, उम्र 35 वर्ष, निवासी मालीवाडा, राजनगर, तहसील राजसमन्द, हाल निवासी गलवा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्री सोनू पिता श्री भगा लाल जी, जाति सेन (नाई), उम्र 30 वर्ष, निवासी गलवा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

— गैर निगराकार

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम विरुद्ध पट्टा क्रमांक 131, बुक संख्या 02, दिनांक 14/12/1990 जारी द्वारा ग्राम पंचायत गलवा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द

उपस्थितः–

1– श्री आर एल रावत, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2– श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03,04,05
3– अप्रार्थी संख्या 01 व 02 अनुपस्थित

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम विरुद्ध पट्टा क्रमांक 131, बुक संख्या 02, दिनांक 14/12/1990 जारी द्वारा ग्राम पंचायत गलवा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 3 ने विपक्षी संख्या 1 व 2 से मिलीभगत करते हुए दिनांक 14/12/2019 को निगराकार के बाला–बाला ही बिना जानकारी के मिलीभगत करते हुए उक्त पट्टा जारी कराया, जो विधि व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से खारिज योग्य हैं। उक्त पट्टे में अंकित भूखण्ड के चारों नाप व पड़ौस निम्न प्रकार हैं : पूर्व 45 फिट, पड़ौस पूर्व में दिया गया प्लॉट, पश्चिम 45 फिट, पड़ौस देवीलाल जी जैन का प्लॉट, उत्तर 30 फिट, पड़ौस पड़त बिलानाम नदी चन्द्रभागा, दक्षिण 30 फिट, पड़ौस रोड़ रास्ता महादेव स्थान काबरी, इस प्रकार 45 X 30 = 1350 वर्गफीट का पट्टा जारी हैं। उक्त वर्णित भूखण्ड के संदर्भ में वास्तविक तथ्य यह है कि ग्राम पंचायत गलवा ने पट्टा आबादी भूमि का विक्रय–विलेख के जरिये आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवंटन का प्रपत्र के जरिये तथाकथित पट्टा दिनांक 14/12/1990 को आवंटित किया गया है, जो कानूनन विधि के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। दिनांक 14/12/1990 को आवंटी विपक्षी संख्या 3 वजेराम से जो आवेदन लिया था, उसमें वजेराम ने घोषणा–पत्र के जरिये यह घोषित किया था कि मेरे पास कोई मकान व रिहायशी तलिया नहीं है, जो सर्वथा मिथ्या घोषणा की है, क्योंकि आंवटी वजेराम के पास पहले से ही खुद का अलग से मकान गलवा में स्थित है व पैतृक मकान भी मौजूद है, इसके अलावा आवंटी बजेराम के पास और अन्य भूखण्ड गलवा में स्थित होने के बावजूद ग्राम पंचायत गलवा के समक्ष गलत घोषणा कर गलत शपथ–पत्र पेश कर जो पट्टा जारी करवाया गया है, वह प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। इसके अलावा आवंटी वजेराम अनुसूचित जाति/जनजाति कारीगरो, लघु व सीमान्त कृषक की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि आवंटी वजेराम के पास गलवा ग्राम पंचायत के अन्तर्गत 50–60 बीघा जमीन भी स्थित है, इसलिए विपक्षी वजेराम निःशुल्क आवंटन की श्रेणी में नहीं आता है। गलत रूप से गलत प्रक्रिया अपना कर विपक्षी संख्या 3 ने ग्राम पंचायत गलवा की बेशकिमती जमीन को गलत आवंटित कर गलत पट्टा जारी किया है। इसके अलावा आंवटी वजेराम के पास वर्ष 1990 से पूर्व से ही दो मंजिला मकान स्थित है। इन सारे तथ्यों को नजरदोज करते हुये ग्राम पंचायत गलवा ने गलत पट्टा जारी किया है। वक्त आवंठन विपक्षी संख्या 1 व 2 ने गलत रूप से पट्टा जारी किया, क्योंकि वक्त आवंटन उक्त भूमि आबादी नहीं थी। उक्त भूमि बिलानाम थी एवं बिलानाम भूमि राजस्थान राज्य के अधिकार क्षेत्र में होती है एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 ने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर बिलानाम भूमि को आबादी भूमि बताकर जो पट्टा जारी किया है, वह खारिज योग्य है। आवंटी विपक्षी संख्या 3 वजेराम के नाम जारी तथाकथित पट्टा के अनुक्रम में आवंटी ने मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा, आधिपत्य नहीं किया गया और ना ही मौके पर कोई निर्माण किया गया। ऐसी स्थिती में पट्टे

न्यायालय जिला कलक्टर

की आवंटन शर्त संख्या 8 के क्रम में आवंटी ने पालना नहीं की है, जिस आधार पर भी यह पट्टा स्वतः ही खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत ने उक्त शर्त के रूप में कोई समय वृद्धि भी नहीं की है। इसलिए भी पट्टा स्वतः खारिज योग्य हैं। उक्त तथाकथित पट्टे के आवंटन के समय आवंटी वजेराम के वास्तविक तथ्यों के सम्बन्ध में आवंटन के प्रार्थना–पत्र में ही प्रार्थना–पत्र की जांच समीक्षा हेतु विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा न तो कोई पटवारी आराजी के सम्बन्ध में 8 रिपोर्ट ली गई कि उक्त भूमि बिलानाम/चारागाह/आबादी है। और बिना रिपोर्ट ही पट्टा जारी कर दिया। इसके अलावा आवंटी अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु सीमान्त कृषक की श्रेणी में आता है, या नहीं इस बाबत् ग्राम सेवक से कोई रिपोर्ट नहीं करवाई और बिना जांच के ही तत्कालिक सरपंच ने मिलीभगत कर आवंटी को फायदा पहुंचाने हेतु गलत पट्टा निःशुल्क जारी कर ग्राम पंचायत को लाखों रूपयों की बेशकिमती जमीन को आवंटित कर विधि–विरूद्ध कृत्य किया है। वक्त आवंटन आवंटी वजेराम तत्कालिन दिनांक 14/12/1990 में ग्राम पंचायत गलवा में उप सरपंच के पद पर कार्यरत होकर प्रभावी व्यक्ति होकर जनप्रतिनिधि था इसके बावजूद आवंटी ने पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानो का उल्लघंन कर पट्टा जारी करवा दिया और मिलीभगत कर विपक्षी संख्या 1 व 2 ने पट्टा जारी कर दिया। आवंटी वजेराम को आवंटित पट्टे में आवंटन शर्त संख्या 03 का आज्ञापक प्रावधान है, कि तथाकथित पट्टे के आधार पर पट्टेशुदा भूमि को आवंटी वजेराम किसी भी सुरत में आगे अन्तरण, हस्तान्तरण करने का कोई हक अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं है, उसके बावजूद वजेराम ने उक्त तथाकथित फर्जी पट्टे के आधार पर बड़ी कीमत में विपक्षी संख्या 4 रमेश माली को उक्त भूखण्ड बेच दिया एवं रमेश माली ने आगे अन्तरण करते हुये विपक्षी संख्या 5 सोनू को उक्त भूखण्ड अन्तरण कर दिया। इस प्रकार विपक्षी संख्या 3 ने फर्जी पट्टे के आधार पर उक्त भूखण्ड का आगे से आगे अन्तरण कर विपक्षी संख्या 1 व 2 ने लाखों रूपयों का नुकसान कारित किया है और मौके पर विपक्षीगण अवैध निर्माण करके व्यवसायिक उपयोग लेने पर आमादा हो रहे है। कानून में विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है, मूल आवंटन में ही शर्ते उल्लेखित कर रखी है, यदि उन शर्तों का आवंटी पालन नहीं करता है, तो स्वतः पट्टा खारिज योग्य हैं। इस प्रकरण में उक्त सिद्धान्त की पूर्ण रूप से पालना होकर उक्त पट्टा संख्या 131, दिनांक 14/12/1990 स्वतः खारिज योग्य है। विपक्षी संख्या 5 सोनू वर्तमान में ग्राम पंचायत गलवा का वार्ड पंच है एवं जनप्रतिनिधि है, जिस कारण भी जनप्रतिनिधि कानूनन किसी भी रूप में पंचायत की भूमि के रूप में न तो कोई पट्टा जारी करवा सकता है और ना ही निःशुल्क पट्टे को हड़पने की नियत से आगे अन्तरण कर भूखण्ड प्राप्त कर सकता हैं। लेकिन विपक्षी संख्या 5 ने मौके पर आगे अन्तरण कराके स्वयं तथाकथित भूखण्ड को खरीदने व मालिक, काबिज होना बताकर मौके पर दिनांक 03/10/2020 को अवैध निर्माण कर रहा था, जिस पर निगराकार ने निर्माण कार्य नहीं करने का कहा, तो विपक्षी संख्या 5 ने गलत कानूनी कार्यवाही कराकर मौके पर विवाद करने लग गया एवं विपक्षी संख्या 5 ने गलत रिपोर्ट पुलिस थाना कुंवारिया में पेश करके गलत प्रकरण फर्जी पट्टे के आधार पर करवाया। निगराकार करतवास गांव का स्थाई निवासी है एवं तथाकथित भूखण्ड भी करतवास गांव की सीमा में है एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 ने गलत रूप से ग्राम पंचायत की भूमि को गलत रूप से आंवटित कर पट्टा जारी किया और ग्राम पंचायत को लाखों रूपयों का नुकसान कारित कर निःशुल्क पट्टा जारी किया, जो कानूनन विधि के अनुसार खारिज योग्य है। विवादाग्रस्त स्थल पर विपक्षी संख्या 5 वर्तमान में मौके पर अवैध निर्माण करने पर आमादा है, जबकि उसके नाम पर न तो पट्टा है, ना ही वह आंवटी है, ना ही स्वामित्वधारी है। तथाकथित पट्टा संख्या 131 दिनांक 14/12/1990 जारी द्वारा ग्राम पंचायत गलवा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द कानून के विपरीत कृत्य करते हुए विधि विरूद्ध पट्टा निगराकार के मुकाबले अवैध व शून्य होने से व प्रारम्भ से अवैध होकर शून्य हैं,

न्यायालय जिला कलक्टर

जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी याचिका विपक्षीगण स्वीकार फरमायी जावें।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 03, 04 व 05 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा द्वारा उपस्थिति दी गई। तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 व 02 अनुपस्थित।

प्रकरण के विचाराधीन रहते निगराकार संख्या 01 से 05 ने दिनांक 09.06.2022 को प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण विड्रो करने हेतु पेश किया। जिसे स्वीकार किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि विपक्षी संख्या 3 ने विपक्षी संख्या 1 व 2 से मिलीभगत करते हुए दिनांक 14/12/2019 को निगराकार के बाला–बाला ही बिना जानकारी के मिलीभगत करते हुए उक्त पट्टा जारी कराया, जो विधि व कानून के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से खारिज योग्य हैं। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत गलवा ने आबादी भूमि का विक्रय–विलेख के जरिये आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय आवंटन का प्रपत्र के जरिये तथाकथित पट्टा दिनांक 14/12/1990 को आवंटित किया गया है, जो कानूनन विधि के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। दिनांक 14/12/1990 को आवंटी विपक्षी संख्या 3 वजेराम से जो आवेदन लिया था, उसमें वजेराम ने घोषणा–पत्र के जरिये यह घोषित किया था कि मेरे पास कोई मकान व रिहायशी तलिया नहीं है, जो सर्वथा मिथ्या घोषणा की है, क्योंकि आंवटी वजेराम के पास पहले से ही खुद का अलग से मकान गलवा में स्थित है व पैतृक मकान भी मौजूद है, इसके अलावा आवंटी बजेराम के पास और अन्य भूखण्ड गलवा में स्थित होने के बावजूद ग्राम पंचायत गलवा के समक्ष गलत घोषणा कर गलत शपथ–पत्र पेश कर जो पट्टा जारी करवाया गया है, इसके अलावा आवंटी वजेराम अनुसूचित जाति/जनजाति कारीगरो, लघु व सीमान्त कृषक की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि आवंटी वजेराम के पास गलवा ग्राम पंचायत के अन्तर्गत 50–60 बीघा जमीन भी स्थित है, इसलिए विपक्षी वजेराम निःशुल्क आवंटन की श्रेणी में नहीं आता है। गलत रूप से गलत प्रक्रिया अपना कर विपक्षी संख्या 3 ने ग्राम पंचायत गलवा की बेशकिमती जमीन को गलत आवंटित कर गलत पट्टा जारी किया है। इसके अलावा आंवटी वजेराम के पास वर्ष 1990 से पूर्व से ही दो मंजिला मकान स्थित है। इन सारे तथ्यों को नजरदोज करते हुये ग्राम पंचायत गलवा ने गलत पट्टा जारी किया है। वक्त आवंटन विपक्षी संख्या 1 व 2 ने गलत रूप से पट्टा जारी किया, क्योंकि वक्त आवंटन उक्त भूमि आबादी नहीं थी। उक्त भूमि बिलानाम थी एवं बिलानाम भूमि राजस्थान राज्य के अधिकार क्षेत्र में होती है एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 ने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर बिलानाम भूमि को आबादी भूमि बताकर जो पट्टा जारी किया है, वह खारिज योग्य है। आवंटी विपक्षी संख्या 3 वजेराम के नाम जारी तथाकथित पट्टा के अनुक्रम में आवंटी ने मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा, आधिपत्य नहीं किया गया और ना ही मौके पर कोई निर्माण किया गया। ऐसी स्थिती में पट्टे की आवंटन शर्त संख्या 8 के क्रम में आवंटी ने पालना नहीं की है, जिस आधार पर भी यह पट्टा स्वतः ही खारिज योग्य है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी याचिका विपक्षीगण स्वीकार फरमायी जावें।

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 03 से 05 ने मौखिक बहस न कर लिखित बहस पेश करने हेतु निवेदन किया किन्तु बार–बार न्यायालय द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु

अवसर देने के उपरान्त भी अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 03 से 05 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत नही की गई।

अधिवक्ता निगराकार की बहस व पत्रावली के गुणावगुण पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में ग्राम पंचायत गलवा द्वारा जारी पट्टा संख्या 131 दिनांक 14.12.1990 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई। प्रथमतया निगरानी 09 निगराकार द्वारा प्रस्तुत की गई परन्तु उनमें से 05 निगराकार द्वारा दिनांक 09.06.2022 को विड्रो प्रार्थना पत्र पेश कर कार्यवाही नही चाहने बाबत अनुरोध किया। निगराकार द्वारा मुख्यतः जिसके पक्ष में पट्टा जारी किया गया उसके पट्टा जारी करने के पात्र नही होने, श्री वजेराम पिता घासी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया, द्वारा पट्टे की शर्तो का उल्लंघन कर अवैधानिक तरीके से पट्टा हस्तान्तरण करना, ग्राम पंचायत द्वारा वैधानिक प्रक्रिया की पालना नही करना, भूमि का आबादी भूमि नही होना इत्यादि आधार पर पट्टा खारिज करने का निवेदन किया गया।

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी एवं संलग्न समस्त दस्तावेजो का गहराई से अध्ययन किया। निगराकार ने पट्टेदार के अपात्र होने बाबत कोई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नही किया। पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्तो का उल्लंघन कर पट्टाशुदा भूमि को हस्तान्तरण करने बाबत कोई दस्तावेज पेश नही किया, ग्राम पंचायत द्वारा किस प्रकार प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया उस बाबत भी कोई दस्तावेज पेश नही किया। निगराकार द्वारा पट्टा जारी करने की दिनांक को उक्त भूमि का स्वामित्व ग्राम पंचायत का नही था उसके संबंध में भी कोई दस्तावेज पेश नही किया।

उक्त समस्त तथ्यों को सिद्ध करने का दायित्व अधिवक्ता निगराकार का था। जो उनके द्वारा सिद्ध नही किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने बाबत प्रेषित पत्रादि व पत्रावली की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया जिसमें आवेदन पत्र लेने, पट्टा सुपूर्दगी किये जाने, सभी प्रक्रियाओं की पालना किया जाना पाया गया। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन पट्टा लगभग 34 वर्ष पूर्व जारी किया गया था तथा 34 वर्षो के असाधारण विलम्ब के लिए भी निगराकार द्वारा कोई साक्ष्य/आधार प्रस्तुत नही किये। अतः निगराकर द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 13.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद